

प्रेस नोट दि०-14.08.2025

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० राजनाथ यादव मय हमराह कां० अरुण कुमार, कां० राजू गौड़ के द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु०नं० 3167/20 धारा 379 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वारंटी रोहित पुत्र प्यारे लाल निवासी ग्राम थरिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रोहित पुत्र प्यारे लाल निवासी ग्राम थरिया थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ०नि० राजनाथ यादव मय हमराह कां० अरुण कुमार, कां० राजू गौड़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दि०-14.08.2025

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी

हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, गाली गलौज, धमकी देने के अभियोग से संबंधित 25 हजार रुपये का इनामियां अभियुक्त गिरफ्तार

इनाम घोषित गिरफ्तार अभियुक्त पर थाना कन्धई व थाना दिलीपपुर मे दर्ज है मारपीट धमकी जैसे मुकदमें

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्र के जगदीशगढ़ चौराहा से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद लोहे की पाइप बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 06.07.2025 को वादी व वादी के भाई के साथ आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नियत से लाठी डंडा व लोह की रॉड से मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने आदि जिसमें वादी के भाई के इलाज की दौरान प्रयागराज में मृत्यु हो गई थी। के प्रकरण में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 118/25 धारा 3(5), 109(1), 103(1), 115(2), 351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी शैलेन्द्र लाल के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में थानाध्यक्ष शत्रुघ्न वर्मा मय हमराह व का विनोद कुमार उ0नि0 सुनील गुप्ता हे0का0 हरिश्चन्द्र बिन्द का0 आशीष द्वारा 25 हजार रुपये का इनामियां अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना दिलीपपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 118/25 धारा 3(5), 109(1), 115(2), 351(3) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त विनोद कुमार उर्फ राजू पुत्र रामफल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम करनपुर खुझी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के जगदीशगढ़ चौराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद लोहे की पाइप बरामद किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. विनोद कुमार उर्फ राजू पुत्र रामफल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम करनपुर खुझी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष शत्रुघ्न वर्मा मय हमराह व का विनोद कुमार उ0नि0 सुनील गुप्ता हे0का0 हरिश्चन्द्र बिन्द का0 आशीष थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास विनोद कुमार उर्फ राजू पुत्र रामफल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम करनपुर खुझी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़-

01. मु0अ0सं0 118 /25 धारा 3(5), 109(1), 103(1), 115(2), 351(3) बीएनएस थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

02. मु0अ0सं0 23 /22 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

03. मु0अ0सं0 41 /20 धारा 147, 323, 452, 504, 506 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़

नोट- प्रतापगढ़ पुलिस जनपदवासियों की सुरक्षा हेतु सतत रूप से प्रतिबद्ध है।

बयान- जनपद में अपराध व अराजकता के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जा रही है। कानून-व्यवस्था में विघ्न डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सभी अपराधियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर दण्ड दिलाया जाएगा।

जनपद वासियों से अपील है कि किसी भी आपराधिक गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस आपकी सेवा व सुरक्षा हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

प्रेस नोट दि०-14.08.2025

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
अभियुक्त को थाना मान्धाता पुलिस द्वारा उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.08.2025 को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता में मु०अ०सं० 103/25 धारा 64(1) 352, 351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह हे०का० अखिलेश कुमार, का० अनीकुमार व म०का० पिकी त्रिपाठी चालक हे०कां रतनलाल त्रिपाठी द्वारा तलाश वांछित वारण्टी, अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त उमेश सरोज पुत्र राम आसरे सरोज नि० बुजहा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

उमेश सरोज पुत्र राम आसरे सरोज नि० बुजहा थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र 23 वर्ष

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह हे०का० अखिलेश कुमार, का० अनीकुमार व म०का० पिकी त्रिपाठी
चालक हे०कां रतनलाल त्रिपाठी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।